SOCIAL JUSTICE, EMPOWERMENT, WELFARE OF SCs & BCs AND ANTYODAYA (SEWA) DEPARTMENT, HARYANA

S.C.O. No. 20-27, 3rd Floor, LIC Jeevandeep Building,
Sector 17-A, Chandigarh, Pin – 160017

Date: ../../....

VACANCY CIRCULAR

Applications are invited for appointment to the post of State Commissioner for Persons with Disabilities by the Social Justice, Empowerment, Welfare of SCs & BCs and Antyodaya (SEWA) Department, Haryana. The Government of Haryana has particularly focused on Empowering Persons with Disabilities (Divyangjan) through its comprehensive programs and initiatives aimed at ensuring their integration into the mainstream of society. The state government has made many policies and started many programs for Divyangjan. The Government of Haryana is committed to the welfare of its citizens, especially those with disabilities, and is working towards creating a more inclusive and accessible society for all. The commitment of the State Government towards Persons with Disabilities (Divyangjan) reflects the vision of equality, opportunity and empowerment for every individual irrespective of their abilities.

Name of the Post: State Commissioner for Persons with Disabilities.

Head Quarter: Chandigarh

Honorarium: Rs.50000/- p.m. + HRA as admissible to the State Government Rule.

Age Limit: Not exceeding 65 years as on 01.01.2025

Educational Qualification:

1. **Essential:** Graduation from a recognized university.
2. **Desirable:** Preference shall be given to persons having recognized degree or diploma in social work or law or management or human rights or rehabilitation or education of persons with disabilities.

Experience: Should have experience of at least ten years of which at least 3 years in the recent past should have been in the field of rehabilitation and/or empowerment of persons with disabilities in the Central Government or a State Government or a Public Sector.

Term of the office of the State Commissioner:

The term of the office of State Commissioner shall be for a period of three years from the date on which he/she assumes office.

Powers, Duties and Functions of the State Commissioner: The powers, duties and functions shall be as laid down in Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and/or Rules framed there under as amended from time to time.

The duly signed applications on plain paper along with supporting documents in support of the claim(s) from eligible candidates may be sent to Director General, Social Justice, Empowerment, Welfare of SCs & BCs and Antyodaya (SEWA) Department, Haryana SCO No. 20-27, 3rd Floor, LIC Jeevandeep Building, Sector 17-A, Chandigarh Pin – 160017 on or before 04.04.2025.

Dr. G. ANUPAMA IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana
Social Justice & Empowerment, Welfare of SCs & BCs
and Antyodaya (SEWA) Department

NOTE:

- Incomplete applications or applications without the supporting documents or applications received after the last date will be summarily rejected & no communication will be made in this regard.
- Applicants who have already applied for the post of State Commissioner for Persons with Disabilities should not apply again.

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा

एस.सी.ओ. नंबर 20–27, तीसरी मंजिल, एल.आई.सी. जीवनदीप बिल्डिंग,
सेक्टर 17–ए, चंडीगढ़, पिन – 160017

दिनांकः ../../....

रिक्ति परिपत्र

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने व्यापक कार्यक्रमों और उपक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य समाज की मुख्यधारा में उनका एकीकरण सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं और कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। हरियाणा सरकार अपने नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी के लिए अधिक समावेशी और सुगम्य समाज बनाने की दिशा में काम कर रही है। दिव्यांगजनों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी क्षमताओं के बावजूद समानता, अवसर और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को दर्शाती है।

पद का नाम: राज्य आयुक्त दिव्यांगजन।
मुख्यालय: चंडीगढ़
मानदेय: रु.50000/– प्रतिमाह + राज्य सरकार के नियम के अनुसार स्वीकार्य एच.आर.ए.।
आयु सीमा: 01.01.2025 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता:

1. **आवश्यक**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. **वांछनीय:** सामाजिक कार्य या कानून या प्रबंधन या मानवाधिकार या दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुभव: कम से कम दस साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम 3 साल हाल ही में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और/या सशक्तिकरण के क्षेत्र में होना चाहिए।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय का कार्यकाल:

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

राज्य आयुक्त की शक्तियां, उत्तरदायित्व और कार्य: शक्तियां, उत्तरदायित्व और कार्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और/या उसके तहत बनाए गए नियमों में समय–समय पर संशोधित अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

पात्र उम्मीदवारों द्वारा दावे के समर्थन में सहायक दस्तावेजों के साथ सादे कागज पर विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा को एस.सी.ओ. नंबर 20–27, तीसरी मंजिल, एल.आई.सी. जीवनदीप बिल्डिंग, सैक्टर 17–ए, चंडीगढ़ पिन – 160017 पर दिनांक 04.04.2025 या उससे पहले भेजे जा सकते हैं।

डॉ. जी. अनुपमा आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग

नोट:

- अधूरे आवेदन या सहायक दस्तावेजों के बिना आवेदन या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई सम्प्रेषण या पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा पहले ही राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के पद हेतु आवेदन किया हुआ है वह पुनः आवेदन न करें।